पत्रांक–SUDA/SBM/CT/PT/87-2016......124

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

OSP
अनुदान

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

रांची/दिनांक:-12/10/18

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 12 शहरी स्थानीय निकायों में 168 यूनिट (336 सीट) मॉडयूलर सामुदायिक शौचालय (प्रति यूनिट रू० 2,49,000/– की दर से) के निर्माण हेतु कुल रू० 4,18,32,000/– (चार करोड़ अठारह लाख बत्तीस हजार रूपये) लागत की योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या – 335 एवं 336 दिनांक – 22.02.2017 द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि से रू० 3,29,28,000/– (तीन करोड़ उनतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) एवं राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहायय् अनुदान मद के OSP प्रक्षेत्र राशि से रू० 89,04,000/– नवासी लाख चार हजार रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 12 शहरी स्थानीय निकायों में 168 यूनिट (336 सीट) मॉडयूलर सामुदायिक शौचालय (प्रति यूनिट रू० 2,49,000/– की दर से) के निर्माण हेतु कुल रू० 4,18,32,000/– (चार करोड़ अठारह लाख बत्तीस हजार रूपये) लागत की योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या – 335 दिनांक – 22.02.2017 द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि से रू० 3,29,28,000/– (तीन करोड़ उनतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) एवं राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहायय् अनुदान मद के OSP प्रक्षेत्र राशि से रू० 89,04,000/– नवासी लाख चार हजार रूपये) मात्र आंवटित की जाती है:

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत मॉडयूलर युरिनल युनिट की संख्या	कुल सीटों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आंवटित राशि(@ रू० 98000/– प्रति सिट)	राज्य योजना अंतर्गत आवंटित राशि	कोषागार/ उपकोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	चास नगर निगम	25	50	6225000	4900000	1325000	बोकारो	अपर नगर आयुक्त
2	देवघर नगर निगम	10	20	2490000	1960000	530000	देवघर	नगर आयुक्त
3	गिरिडिह नगर निगम	40	80	9960000	7840000	2120000	गिरिडिह	कार्यपालक पदाधिकारी
4	झुमरीतिलैया नगर परिषद्	4	8	996000	784000	212000	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
5	फुसरो नगर परिषद्	18	36	4482000	3528000	954000	तेनुघाट	कार्यपालक पदाधिकारी
6	मधुपुर नगर परिषद्	10	20	2490000	1960000	530000	मधुपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
7	मेदिनीनगर नगर	13	26	3237000	2548000	689000	पलामू	कार्यपालक

Jayjumar

	निगम							पदाधिकारी
8	विश्रामपुर नगर परिषद्	5	10	1245000	980000	265000	पलामू	कार्यपालक पदाधिकारी
9	हुसैनाबाद नगर पंचायत	10	20	2490000	1960000	530000	पलामू	कार्यपालक पदाधिकारी
10	गढ़वा नगर परिषद्	7	14	1743000	1372000	371000	गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी
11	नगर पंचायत नगर उटाँरी	6	12	1494000	1176000	318000	गढ़वा	उपायुक्त गढवा
12	रामगढ नगर परिषद्	20	40	4980000	3920000	1060000	रामगढ	उपायुक्त रामगढ
	कुल	168	336	41832000	32928000	8904000		

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या – 48 के अधीन मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास– उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य– लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता – उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहायय् अनुदान– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड– 48S221780191340679 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. स्वीकृति राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृति राशि की निकासी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनिवार्य रूप से की जाएगी।

4. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक 20.03.2015 की कंडिका– 5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा इस स्वीकृत्यादेश के निर्गत किए जाने के एक माह के भीतर विधिवत् निविदा आमंत्रित करते हुए प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

6. सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त मॉडल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप मॉडयूलर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें संबंधित स्थानीय शहरी निकाय में उपलब्ध भूमि की अवस्थिति के अनुसार झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता सुसंगत प्रावधानों के आलोक में आवश्यक नियमानुसार प्रावधान किए जा सकेंगे, जिसकी सूची विभाग को दी जाएगी।

7. उक्त योजना अन्तर्गत विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतएव इस संबंध में प्रतिवेदन शून्य है।

8. राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम–340–343/ कोषागार संहिता के नियम–300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक– 17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–301, दिनांक– 11.03.2015 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 759/वि० दि०–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अत : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 759/वि० दिनांक– 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–SUDA/SBM/CT/PT/87-2016.......124....... दिनांक–.......12/10/18

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, सुडा/निदेशक,

नगरीय प्रशासन निदेशालय/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/ आन्तरिक **वित्तीय** सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार / श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/ बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

124
12/10/18

सरकार के सचिव।